


8.8.23,
पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादी अधिवक्ता को लाश्चवादी हेतु कई अवसर दिए
जा चुके हैं। वादी अधिवक्ता पूर्व पेशी दिनांक 13/12/22
को उपस्थित नहीं हुआ है एवं नही आज उपस्थित हुए।
न्यायालय द्वारा कब-कब कर तीन बार आवाम लगाई
गई। वादी एवं वादी अधिवक्ता न्यायालय समय तक उपस्थित
नब उपस्थित नही हुए जिससे जाहिर है कि वादी अपने
वाद के प्रति गंभीर नही है एवं नही वाद चलाना चाहता
है।

अतः वादी अधिवक्ता एवं वादी उपस्थित नही होने
से वादी का वाद 09 RB अदम हाजरी - अदम पेशी
में खारिज किया जाता है।
निर्णय लेने के लिये न्यायालय लुनाया गया। उभरन
के लिये शुक्रार हेतु नम्बर से कम है।


प्रतिभावती
IAS
मुखण्ड अधिकारी
गिरवा उदयपुर